(190) (66)

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी 2192-II-15 कैम्प रीवा म0प्र0

201/16.6.15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निरस्त/निराकृत Rs 20/-

रामरतन तनय गोबिन्दराम ब्रा0 निवासी चौका सोनवर्षा, तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामजी तनय रामनिहोर ब्रा0
2. बाला प्रसाद तनय बद्री प्रसाद ब्रा0
3. हरिहर प्रसाद तनय बद्री प्रसाद ब्रा0

उपरोक्त तीनो निवासी ग्रामचौका सोनवर्षा, तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0 — गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभागरीवा के प्र0क्र0436/निगरानी/2005-2006 मे पारित आदेश दिनांक30. 3 2015 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा50प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी

अतीक श्रीवास्तव एड के 16-6-15 द्वारा सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5850 रजिस्टर्ड ... आज दिनांक ... को प्राप्त

... महोदय, राजस्व ... ग्वालियर

निगरानी के तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 1 के द्वारा तहसील न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी नं. 57, 105, 128, 150, 78, मौजा चौका सोनवर्षा, तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0के भूमि का नक्शा तर्मीम की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्तभूमि मे अनावेदक क्रमांक 1 का कब्जा दखल नहीथा बल्कि उक्तभूमि मे आवेदक का कब्जा दखल था लेकिन तहसीलदार महोदय केद्वारा बिधि बिरूद्ध ढंगसे नक्शा तर्मीम की कार्यवाही कर दी गयी जिस नक्शा तर्मीमआदेश के बिरूद्ध आवेदक के द्वारा अनु0अधि0महोदय के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी

रामरतन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 2192-दो/15 जिला– रीवा

रामरतन वा. विरूद्ध रामधीरवा. वगैरा

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अनीष श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 436/निग/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-3-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-6-15 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	